



हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक- 12.09.2024 को थाना महाराजगंज पुलिस द्वारा सरदहा बाजार में कपड़े की दुकान से हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी गये सामान (कीमत लगभग 01 लाख रुपये) के साथ 04 लोग पकड़े गये जिसमें 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।

थाना- महाराजगंज: सरदहा बाजार में कपड़े की दुकान से हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण; चोरी गये सामान (कीमत लगभग 01 लाख रुपये) के साथ 04 पकड़े गये, 02 अभियुक्त गिरफ्तार; 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना -

अवगत कराना है कि दिनांक 18.08.2024 को वादिनी प्रतिमा गुप्ता पुत्री दिनेश गुप्ता निवासी मेउड़िया सरदहा बाजार थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना महाराजगंज पर लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरो द्वारा रात्रि में वादिनी मुकदमा की कपड़े की दुकान में रखे कपड़ा, साड़ी, आदि (कीमत लगभग 01 लाख रुपये) को चुरा लिया गया है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 332/24 धारा 331(4),305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 बालेन्द्र कुमार यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है।

मुकदमा उपरोक्तों में विवेचना के दौरान अभियुक्त 1.सुदरसन उर्फ बलिन्दर पुत्र सुखई निवासी गंगापुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ 2.रिनू पत्नी स्व0 राजकुमार सा0 महरूपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ व 02 बाल अपचारी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी की घटना का सफल अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी कप्तानगंज को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आज दिनांक- 12.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज राजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में व0उ0नि0 दलप्रताप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1.सुदरसन उर्फ बलिन्दर पुत्र सुखई निवासी गंगापुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ व एक बाल अपचारी को ग्राम रायपुर प्राथमिक विद्यालय के पास सरदहां परशुरामपुर रोड राजेन्द्र सिंह के निर्माणाधिन मकान के सामने सड़क की पट्टी के किनारे चोरी के कपड़ों (कीमत लगभग 01 लाख रुपये) के साथ समय करीब रात्रि 02.30 बजे पकड़ा गया तथा अभियुक्ता रिनू पत्नी स्व0 राजकुमार सा0 महरूपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ व एक बाल अपचारी को समय 09.50 बजे पकड़ा गया। गिरफ्तारी व बरादगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है तथा 02 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 332/24 धारा 331(4),305(ए), 317(2) बीएनएस थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त व बाल अपचारी-

- 1.सुदरसन उर्फ बलिन्दर पुत्र सुखई निवासी गंगापुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
- 2.रिनू पत्नी स्व0 राजकुमार सा0 महरूपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़
3. 02 बाल अपचारी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

बरादगी- (कीमत लगभग 01 लाख रुपये)

- 1-सामान साड़ी-114 पीस, क्राप टाप - 8 पीस, फ्राक-11पीस, स्वेटर-8पीस, जैकेट- 11पीस, सदरी-8 पीस,
- 2- कोट पैट - 6पीस, जीन्स- 49पीस, लेडीज सूट - 2 पीस, लहंगा - 5 पीस, जेन्ट्स लोवर - 18 पीस, पैन्ट -3 पीस,
- 3- नेकर - 11 पीस, बच्चों की लैगी - 3 पीस,
- 4- महिला सम्बन्धी सामान- 131 पीस सामान।

6-बेडशीट – 2 पीस, शर्ट का कपड़ा – 5 पीस, पैंट का कपड़ा – 7 पीस, शर्ट – 22 पीस, टीशर्ट – 31 पीस,
7-जूता – 11 जोड़ी, लेडीज सैण्डल – 21 जोड़ी

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-प्र०नि० श्री राजीव कुमार मिश्रा के नेतृत्व में व०उ०नि० दलप्रताप सिंह उ०नि० बालेन्द्र कुमार यादव हे०का० राजू कुमार का०
रामबाबू यादव का० अमनराज विश्वकर्मा, म०का० गुड़िया यादव, म०का० जागृति तिवारी थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।



02. थाना कोतवाली: चोरी की कई घटनाओं में संलिप्त वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार; पूर्व में चोरी की 01 बुलेट, 02 इं-रिक्शा, 01 चाँदी की प्लेट, अन्य सामान (कीमत लगभग 07 लाख रुपये) व 28,900/- रुपये नकदी के साथ 10 लोग पकड़े गये (06 शातिर चोर गिरफ्तार व 04 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।)

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि विगत कुछ दिनों से आजमगढ़ शहर व शहर के आस-पास के थाना क्षेत्रों में हो रही चोरी की घटनाओं के कुशल अनावरण, गिरफ्तारी, बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में दिनांक- 10.09.2024 को थाना कोतवाली व थाना सिधारी की संयुक्त टीम द्वारा बागलखराव पुल पर सघन चेकिंग करते हुए संगठित तरीके से गैंग बनाकर चोरी करने वाले 10 लोगों को पकड़ा गया था जिसमें 06 शातिर चोरों की गिरफ्तारी व 04 बाल अपचारियों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया व चोरी के माल की बरामदगी व जनपद के कुल 16 मुकदमों का सफल अनावरण किया गया था।

➔अभियुक्त जाहिद पुत्र आमिर निवासी ब्लॉक नम्बर 24 मकान नम्बर 282 कांशीराम आवाश डीएवी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ दिनांक- 24.08.2024 से जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध है।

➔अभियुक्त मुकुल वर्मा पुत्र कन्हैया वर्मा निवासी सीताराम दलालघाट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ फरार चल रहा था, जिसके क्रम में-

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 11.09.24 को उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मुकुल वर्मा पुत्र कन्हैया वर्मा निवासी सीताराम दलालघाट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को समय 16.10 बजे करतालपुर में डीहबाबा के पास के पास से नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि अभियुक्त दीपक गुप्ता व उसके साथियों द्वारा मेरी कबाड़ की दुकान पर कुछ पीतल के बर्तन व ताला लाकर कबाड़ में बेचा गया था पीतल के बर्तन को मैंने कबाड़ कर कानपुर सप्लाई कर दिया है।

पंजीकृत अभियोग -

1-मु0अ0सं0 499/2024 धारा 112/317(2)/317(4)/317(5) BNS वर्ष 2023 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-मुकुल वर्मा पुत्र कन्हैया वर्मा निवासी सीताराम मकान नम्बर 486 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष

आपराधिक इतिहास -

- 1.मु0अ0सं0- 499/2024 धारा 112, 317(2), 317(4), 317(5) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 446/24 धारा 305/324 (2) बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 370/24 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 332/24 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 482/24 धारा 331(4)/62/305 क बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1-उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव मय हमराह उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल व का0 विवेक शर्मा व का0 अखिलेश यादव थाना कोतवाली आजमगढ़

